# प्रेस नोट

दिनांक 06.06.2023

## कार्यालय पुलिस थाना बनाड जोधपुर पूर्व

## सिलसिलेवार नकबजनी की घटना करने वाले गैंग का खुलासा

## अन्तरराज्यीय शातिर नकबजन गिरफ्तार

**घटनाः—** दिनांक 24.05.2023 को प्रार्थी राकेश बाबु श्रीवास्तव पुत्र श्री चान्दबाबु श्रीवास्तव जाति कायस्थ उम्र 62 साल निवासी नान्दडी पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की कि दिनांक 23.05.2023 को मैं मेरे दूसरे निवास एयरफोर्स रातानाडा गया हुआ था तो उसी रात्रि में नान्दडी मकान का ताला तोङकर अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर अलमारी के ताले तोङकर जेवरात आभूषण व नकदी चोरी हो गयी वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश शुरू कि गई।

**कार्यवाही पुलिसः—**श्रीमान् रविदत्त गौड़ पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जोधपुर शहर हो रही लगातार नकबजनी/चोरी की वारदातों की घटनाओं की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए वारदातों का खुलासा करने के निर्देशों की पालना में डॉ. अमृता दुहन पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व व श्रीमान नाजिम अली आरपीएस अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के निर्देशन में तथा श्रीमान पीयूष कविया आरपीएस सहायक पुलिस आयुक्त मण्डोर जोधपुर पूर्व के निकटतम सुपर विजन में मन् थानाधिकारी सीताराम खोजा नि0पु0 पुलिस थाना बनाड़ के नेतृत्व में आसूचना अधिकारी श्री राजेन्द्र कानि 1870 के द्वारा आसूचना संकलन व वर्तमान में प्रयुक्त तकनिकी साधनों का उपयोग करते हुए पता किया गया तो उतरप्रदेश के सदिग्ध व्यक्तियों की नकबजनी के वारदात के स्थान व समय पर उपस्थिती पाई गयी जिस पर आसूचना संकलन कर उतरप्रदेश के सदिग्ध नकबजनों के नाम पता की मालूमात की गई तो वक्त नकबजनी शमसाद पुत्र श्री शौकत अली जाति मुसलमान निवासी सैफी कॉलोनी पुलिस थाना शिम्भावाली जिला हापुड़ उतरप्रदेश की घटना स्थान पर उपस्थिती पायी गई। जिस पर थाना हाजा से श्री जसवन्तसिंह उनि प्रोबेशनर मय टीम को सदिग्ध की तलाश व दस्तयाब हेतु उतरप्रदेश राज्य भेजा गया जिस पर टीम द्वारा गाजियाबाद हापुड़ जिलों मे सदिग्ध शमशाद को तलाश कर दस्तयाब किया गया व बाद दस्तयाबी पूछताछ की गई तो शमशाद व उसके साथियों के साथ मिलकर जोधपुर शहर वर्ष 2020 से लगातार कई स्थानों पर नकबजनी की वारदात करना स्वीकार किया जिसमें करीबन 25 से 30 नकबजनी की वारदातें की है। जो आरोपीयों की दस्तयाबी से खुलासा होने की संभावना है तथा राजस्थान के अन्य जिलों में भी वारदात करना स्वीकार किया है। शमशाद को प्रकरण की वारदात स्वीकार करने पर बाद अनुसंधान गिरफतार किया है। जिसमें माल मसरूका कि बरामदगी के प्रयास व अनुसंधान जारी है।

**तरीका वारदातः—**आरोपी शमसाद आले दर्जे का नकबजन हैं जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते है। आरोपी शमशाद व उसके साथियों के द्वारा नकबजनी की वारदात करने के लिये उतरप्रदेश से बसों के द्वारा यात्रा करते है एवं मोबाईल का प्रयोग बहुत ही कम करते है। आरोपी शमशाद द्वारा जोधपुर शहर में सुने मकानों मे रैंकी कर बन्द मकानों के बाहर ताला लगा देखकर रात्रि में अपने साथियों के साथ मिलकर ताला तोडकर नकबजनी करता है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में जयपुर शहर के विभिन्न थानों में व उतरप्रदेश में नकबजनी के 28 मुकदमे दर्ज होकर चालान सुदा है।

**मुलजिम का नाम पताः—** शमसाद पुत्र श्री शौकत अली जाति मुसलमान निवासी सैफी कॉलोनी पुलिस थाना शिम्भावाली जिला हापुड़ उतरप्रदेश

**गठित टीमः—**

1—श्री सीताराम खोजा नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
2—श्री जसवन्तसिह उनि प्रोबेशनर पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर
3—श्री राकेश सिंह सउनि साईबर सैल जिला जोधपुर पूर्व
4—श्री महीपाल हैड कानि 1847 पुलिस थाना बनाड जोधपुर पूर्व
5—श्री भूपेन्द्र हैड कानि 185 अभ्य कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल जोधपुर
6—श्री राजेन्द्र कानि0 1870 आसूचना अधिकारी पुलिस थाना बनाड जोधपुर पूर्व।
7—श्री हनुमानसिंह बेनिवाल कानि0 2259 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व
8— श्री महेशचन्द्र कानि 1347 पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व

**नोटः— नकबजनी का खुलासा व आरोपी के दस्तयाबी में कानि राजेन्द्र सिलारी 1870 आसुचना अधिकारी पुलिस थाना बनाड़ जोधपुर पूर्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।**

भवदीय
एसडी/—
थानाधिकारी
पुलिस थाना बनाड़
जोधपुर पूर्व